न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश, उत्पाद रोहतास,सासाराम।

नासरीगंज थाना काण्ड सं. 89 /2020

गौतम कुमार

बनाम्

बिहार सरकार

04.09.2020 काराभियुक्त/आवेदक गौतम कुमार की ओर से दिनांक 11.06.2020 को दाखिल जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 437 द.प्र.संहिता पर सुनवाई पश्चात आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

काराभियुक्त/आवेदक गौतम कुमार की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि आवेदक/अभियुक्त नासरीगंज थाना काण्ड सं0 89/2020 में धारा 30(ए.)बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 के अन्तर्गत आरोपित है जिसमें वह दिनांक 08.06.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा जमानत आवेदन पत्र की प्रति पूर्व में ही विशेष लोक अभियोजक श्री रामेश्वर सिंह को दी गई है।

संक्षेप में अभियोजन का मामला सूचक अनील कुमार स.अ.नि नासरीगंज के स्वलिखित आवेदन के आधार पर यह है कि सूचक दिनांक 06.06.2020को समय करीब 17.00बजे सशस्त्र बल के साथ पुलिस वाहन से संध्या गस्ती में थाना से प्रस्थान किया तथा समय लगभग 22.15बजे संध्या गस्ती करते हुए बलियॉ कोठी के पास पहुंचे तो देखे कि एक टाटा इंडिको रजि. डी.एल.4सी.4–8508 पर तीन व्यक्ति बैठ कर जा रहे है। उक्त गाड़ी के पास पहुंच कर रोकने का इशारा करने पर उक्त गाड़ी इटिम्हॉ होते हुए घनॉव तरफ भागने लगा। संदिग्ध वाहन का पिछा करने पर उक्त कार नासरीगंज मेन रोड में घनॉव मोड़ के पास चालक द्वारा गाड़ी रोक कर तीनों व्यक्ति कार से निकलकर भागने लगें। पुलिस बल के सहयोग से एक व्यक्ति को पकड़ा गया एवं दो व्यक्ति अंधेरा का लाभ उठाते हुए भागने में सफल रहा। कार रजि. नं. डी.एल.4सी.4–8508का तलाशी लेने पर कार के डिक्की एवं सीट पर रखा हुआ 27 कार्टुन प्रत्येक कार्टुन में 200एम.एल. का 40 शीशी भरा हुआ एवं एक जुट के बोरा में 200एम.एल. का 123पीस कुल 1203 पीस देशी शराब का भरा हुआ शीशी जिसकी कुल मात्रा 240.600लीटर अवैध शराब बरामद किया गया। पकड़ाये व्यक्ति से पूछने पर उसने अपना नाम गौतम कुमार पिता स्व. सुरेन्द्र साह ग्राम काराकाट थाना गोड़ारी काराकाट जिला रोहतास बतलाया। भागने वाले का नाम पूछने पर उसका नाम भोला कुमार पिता अरूण साह सा. काराकाट, इलाहाबाद बैंक के पास, थाना गोड़ारी काराकाट जिला रोहतास, कृष्णा राम पिता विरेन्द्र राम सा0 महावीरगंज जोनी टोला, थाना विक्रमगंज जिला रोहतास बतलाया। बरामद कार एवं शराब के बारे में पूछताछ करने पर गौतम कुमार द्वारा बतलाया गया कि वे लोग उपरोक्त दोनों व्यक्ति एवं बलेश्वर सिंह पिता लाल मोहर सिंह ग्राम भरत कसवां थाना गोड़ारी काराकाट जिला रोहतास, वे चारों व्यक्ति मिल कर शराब का कारोबार करते है। उक्त कार एवं कार पर लदे शराब बालेश्वर सिंह के कहने पर वे लोग पहुंचाने जा रहे थे। शराब एवं कार बालेश्वर सिंह द्वारा दिया गया था तथा टाटा इंडिको कार रजि. डी.एल.4सी.4–8508 से वे लोग शराब पहुंचाने जा रहे थे। कोई स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध न होने के कारण सिपाही विक्की कुमार एवं सिपाही नितेश कुमार के समक्ष शराब एवं कार को जब्त कर जब्ती सूची तैयार किया गया जिसपर दोनों साक्षियों द्वारा स्वेच्छा से अपना अपना हस्ताक्षर बनाया गया। पकड़ाये व्यक्ति गौतम कुमार का जामा तलाशी लेने पर पहने हुए कपड़ा के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। तत्पश्चात उसे गिरफ्तार किया गया तथा बरामद शराब एवं कार तथा पकड़े गये व्यक्ति के साथ थाना आये जिसके आधार पर आरोपित करते हुये यह काण्ड अंकित किया गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन हैं कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है तथा घटनास्थल पर कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। सम्पूर्ण अभियोज कथन बनावटी, निराधार एवं मिथ्या है तथा गांव की गंदी ग्रामीण राजनीति के कारण उसे झूठे एवं मिथ्या वाद में दुश्मनीवश फंसाया गया है। समाज में यह भ्रांति व्याप्त है कि किसी भी व्यक्ति को हैरान व परेशान करना हो या बदला लेना हो तो उसे उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत फंसा दिया जाए। आरोपित आरोप आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध लागू नहीं होता है क्योंकि आवेदक/अभियुक्त के भौतिक कब्जा से उत्पाद संबंधी कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं किये गये है तथा जब्ती सूची के अनुसार बरामद शराब से आवेदक/अभियुक्त का कोई संबंध नहीं है। जब्ती सूची विधि पूर्वक तैयार नहीं किया गया है तथा धारा 100द.प्र.संहिता का अनुपालन नहीं किया गया है। जब्ती सूची के सभी गवाह पुलिस कर्मी हैं, कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। अभियोजन कथानक के अनुसार जिस कार के डिक्की से शराब बरामद होने की बात कही जाती है, उस कार एवं बरामद शराब से आवेदक/अभियुक्त का कोई संबंध नहीं है।आवेदक/अभियुक्त प्रातः

लगातार

04.09.2020 काल में घटनास्थल के पास टहल रहा था, तभी पुलिस द्वारा संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया जबकि आवेदक/अभियुक्त स्नातक कला का छात्र है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और बिना किसी सकारात्मक विधिक साक्ष्य के न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक/अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार बंध पत्र दाखिल करने हेतु तैयार है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद जमानत आवेदन का विरोध करते हुये इसे अस्वीकृत किये जाने का अनुरोध करते है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात मेरे द्वारा अभिलेख के साथ उपलब्ध काण्ड दैनिकी की कंडिका 1 ता 27 का अवलोकन किया गया। आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है तथा उसके विरूद्ध टाटा इंडिका कार रजि. सं. डी.एल.4सी.यू.–8508 के डिक्की से 240.600लीटर अवैध देशी शराब बरामद किये जाने का आरोप है। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस काण्ड के अनुसंधानक द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध काण्ड का अनुसंधान कार्य पूर्ण कर सह अभियुक्तो भोला कुमार, कृष्णा राम, बलेश्वर सिंह एवं वाहन सं. डी.एल.4सी.यू.–8508 के स्वामी के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखते हुए आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 30(ए.) बिहार मद्य निषेध एवं संशोधित उत्पाद अधिनियम के तहत समर्पित किया गया है जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आपराध का संज्ञान लिया गया है। काण्ड दैनिकी की कंडिका 2 में जब्ती सूची को दर्शाया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि घटना के दिन व समय पर घटनास्थल से जब्त टाटा इंडिका कार रजि. डी.एल.4सी.यू.–8508 से 240.600लीटर अवैध शराब बरामद किया गया है तथा जब्ती सूची पर आवेदक/अभियुक्त गौतम कुमार द्वारा जब्ती सूची प्रति पाने के पश्चात अपना हस्ताक्षर भी बनाया गया है। कंडिका 3 में वादी का पुनः बयान है तथा कंडिका 10 एवं 11 में धारा 161द.प्र.संहिता के तहत जब्ती सूची के गवाहों का बयान है जिस बयान में वादी सहित सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया है। कंडिका 7 में घटनास्थल तथा कंडिका 19 में जब्त शराब का जॉच प्रतिवेदन को उल्लेखित किया गया है। कंडिका 27 से यह स्पष्ट है कि सह अभियुक्तों के विरूद्ध काण्ड का पूरक अनुसंधान अभी जारी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा पूरे बिहार राज्य में शराब बंदी कानून लागू होने के बाद भी अवैध ढंग से शराब का व्यवसाय एवं परिवहन किया जाता है।

उपरोक्त वर्णित सभी तथ्यों, परिस्थितियों, वाद की प्रकृति एवं लगाये गये आरोप की गम्भीरता तथा बरामद शराब की मात्रा (240.600) पर विचार करने के पश्चात यह न्यायालय आवेदक /अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना उचित नहीं समझती है। तद्नुसार आवेदक/ अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन दिनांक 11.06.2020 को **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह
विशेष न्यायाधीश, उत्पाद रोहतास,सासाराम